

परिवार



विवरण

क्र.	नाम	उम्र	मुखिया से सदस्य का रिश्ता
1	सनद कुम्हार पटेल	30	(पुत्र)
2	इन्डुबाई पटेल	27	पुत्री
3	कुवराज पटेल	10	पुत्र
4	मुकेश पटेल	08	पुत्र
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			

(बड़े सदस्य).....2 (छोटे सदस्य).....2 (कुल सदस्य).....

घोषण

दिनांक

महाराष्ट्र

32127273

144303
1442-1

योजना

कार्यालय जिलाध्यक्ष भोपाल (म.प्र.)

(खाद्य तथा नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग)

(परिवार पत्र (फैमिली कार्ड))

(म.प्र. फूडस्टफ्स डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल आर्डर 1960 के अंतर्गत जारी किया गया)

37970940

वार्ड क्रमांक 63

खाता क्रमांक 238

- परिवार के मुखिया का पूरा नाम... सनद कुमारा पटेल
पिता/पति का नाम.....
- वर्तमान पता:- वार्ड क्रमांक... धनश्याम पटेल घर क्रमांक... मोहल्ला... सितानगरा
ग्राम... सोनागिरी विकासखण्ड... क.क. जिला... भोपाल
- गरीबी-रेखा सर्वे सूची जारी 2006 (सर्वेक्षण 2002-2003) में क्रमांक... 3111 वार्ड क्रमांक... कार्ड का प्रकार... (अंत्योदय होने पर क, ख, ग, घ श्रेणी.....)
- व्यवसाय/नौकरी... मजदारी पद... मासिक आय... 375 सदस्य
- कार्यस्थल का पता.....
- गैस कनेक्शनधारी का नाम... उप. क्र... कम्पनी... एजेंसी.....
- (अ) वयस्कों की संख्या... 2 कुल यूनिट... 2
(12 वर्ष से अधिक उम्र के)
(ब) बालकों की संख्या... 2 कुल यूनिट... 1
(12 वर्ष तक)
कुल पुरुष... 3 महिला... 1 कुल सदस्य... 4 कुल यूनिट... 3
(शब्दों में सदस्य)... चार (शब्दों में यूनिट)... तीन
- शा.उ.मू. दुकान क्रमांक.....
- दुकान का नाम व पता... जनसेवा प्रा. सह. उप. प्रणाली
दु. क्र. 5
- हस्ताक्षर मुखिया.....
- हस्ताक्षर दुकानदार.....

राशनकार्ड तैयार करने वाले अधिकारी जारी

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 अनुसार मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजनांतर्गत
 लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली हेतु पात्रता पत्र
 खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा जारी
 उपभोक्ता प्रति (इसे राशन कार्ड पर संस्था करें)



37970940

बी.पी.एल कार्ड धारक

3111/238

Sanad Kumar Patel

5

124, sona giri, Ward No. 63, Nagar Nilgam, BHOPAL, BHOPAL

अखिल मूल्य की दुकान का नाम :

जनसेवा प्रशा0सह030अंशर, सी सेक्टर इन्द्रपुरी (2803191)



खाना वितरण अधिकारी
 सहायक/ कनिष्ठ, अन्नपूर्णा अधिकारी

खाना वितरण अधिकारी
 सहायक/ कनिष्ठ, अन्नपूर्णा अधिकारी

खाद्यान्न
 (गेहूं/चावल/मोटा अनाज)

25 किलो

नोट - परिवार को
 शककर/नमक/केरोसीन की राज्य शासन
 द्वारा समय-समय पर निर्धारित मात्रा
 अनुसार पात्रता होगी।